रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032026-271371
CG-DL-E-28032026-271371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 198]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 214(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 93 के उप-नियम 1 के खंड (क) में, उप-खंड (VI) में तालिका के नीचे, छठे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि टिपर और डम्पर के मामले में, केंद्रीय मोटर यान नियमावली के नियम138-बी के द्वितीय प्रावधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार, लोड बॉडी को ढकने के लिए लगाई गई प्रणाली को मोटर वाहनों की समग्र ऊंचाई मापने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

3. उक्त नियमावली में, नियम 93 के उप-नियम 1 के खंड (ख) में, क्रमांक (i) के स्थान पर निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(i) मोटर वाहनों की समग्र ऊंचाई मापने में रियर व्यू मिरर या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण, या गार्ड रेल या दिशा संकेतक रबर-रेल (रबर बीडिंग) जिसकी बॉडी के प्रत्येक तरफ अधिकतम मोटाई 20 मिलीमीटर हो या साइड फुट स्टेप, या टिपर और डम्पर पर लोड बॉडी को ढकने के लिए सीएमवी नियमावली के नियम 138-ख के द्वितीय प्रावधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार फिट की गई प्रणाली को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।"

4. उक्त नियमावली में, नियम 138-ख में, प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"यह भी प्रावधान किया गया है कि 1 अप्रैल 2027 को या उसके बाद, सभी डम्पर और टिपर के मामले में, लोड बॉडी को ऊपर से ढकने के लिए विद्युत या विद्युत-यांत्रिक या हाइड्रोलिक या यांत्रिक रूप से संचालित प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि वाहन के सड़क पर चलते समय लोड बॉडी पूरी तरह से ढकी रहे। ऊपर विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, लोड बॉडी की छत को ढकने के लिए किसी भी उपयुक्त सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वाहन के चलने के दौरान लोड बॉडी का आवरण खुला या असुरक्षित होने पर चालक को चेतावनी देने के लिए चालक के केबिन में एक श्रव्य-दृश्य (ऑडियो-विजुअल) अलर्ट सिस्टम लगाया जाएगा।"

-आरटी .सं .फा]11028/02/2026[एमवीएल-

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांक .... द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 214(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 93, in sub-rule 1, in section (A), below the table in sub-section (VI), after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided that in case of tippers and dumpers, the system fitted to enclose the load body, as per the provision given in the second provision of CMV Rule 138-B, shall not be taken into consideration in measuring the overall height of motor vehicles."

3. In the said rules, in rule 93, in sub-rule 1, in section (B), for sr. no. (i), the following shall be inserted, namely:

"(i) A rear view mirror or device for indirect vision, or guard rail or a direction indicator rub-rail (rubber beading) having maximum thickness of 20 millimeter on each side of the body or side foot step, or the system fitted on tippers and dumpers to enclose the load body as per the provision given in second provision of CMV Rule 138-B, shall not be taken into consideration in measuring the overall height of motor vehicles."

4. In the said rules, in Rule 138-B, after the first proviso following proviso shall be inserted, namely:

" Provided also that on and after 1st April 2027, in the case of all dumper and tippers, the load body shall be fitted with an electrically or electro-mechanical or hydraulic or mechanically operated system to cover the load body from top, to fully enclose the load body while the vehicle is plying on the road. The system specified above may use any suitable material for covering the roof of the load body. Additionally, an audio-visual alert system shall be provided in the driver's cabin to warn the driver if the load body cover is open or unsecured during vehicle movement."

[F. No. RT-11028/02/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. …..(E) dated the ……………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.28 12:57:12 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271279
CG-DL-E-27032026-271279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/ चैत्र 3, 1948
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/ CHAITRA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सा.का.नि. 202(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों में, नियम 115 के उप-नियम 115-ञ को विलोपित कर दिया गया है।

3. उक्त नियमों में, नियम 125-ड के स्थान पर निम्नलिखित पाठ्य प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"125-ड (क). तरल या संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन वाहनों का टाइप अनुमोदन -

1. तरल या संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन से चालित एम और एन श्रेणियों के आंतरिक दहन इंजन वाहनों के टाइप अनुमोदन के लिए सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 195:2023 के अनुरूप होंगी।

   बशर्ते कि आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विशिष्टिताएं, आईएस 16061: 2021 के अनुरूप होंगी।

2. तरल या संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन से चालित निर्माण उपकरण वाहनों के आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के टाइप अनुमोदन के लिए सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 195ए:2024 के अनुरूप होंगी।

   बशर्ते कि आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विशिष्टिताएं, आईएस 16061: 2021 के अनुरूप होंगी।

125- ड(ख). संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल से चालित वाहनों का टाइप अनुमोदन -

1. संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल से चालित श्रेणी एम और श्रेणी एन के मोटर वाहनों के टाइप के अनुमोदन के लिए सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 157ए:2020 के अनुरूप होंगी।

   बशर्ते कि ईंधन सेल वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विशिष्टिताएं, आईएसओ 14687 के अनुरूप होंगी।

2. संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल से चालित निर्माण उपकरण वाहनों के टाइप अनुमोदन के लिए सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 157 ए:2024 के अनुरूप होंगी।

   बशर्ते कि फ्यूल सेल वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विशिष्टताएं, आईएसओ 14687 के अनुरूप होंगी।

3. श्रेणी एल के आंतरिक दहन इंजन और तरल या संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन से चालित संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के टाइप अनुमोदन के लिए सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 206:2024 के अनुरूप होंगी।

   बशर्ते कि फ्यूल सेल और आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विशिष्टताएं, आईएस 14687 या आईएस 16061: 2021, जो भी लागू हो, के अनुरूप होंगी।

[फा. सं. आरटी-11028/02/2026-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में साकानि 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार साकानि…..(अ) दिनांक ………………. द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2026

G.S.R. 202(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in rule 115, delete sub-rule 115-J.

3. In the said rules, for Rule 125-M, the following text shall be substituted, namely:-

"125-M(A). Type approval of liquid or compressed gaseous hydrogen internal combustion engine vehicles.-

1. The safety and procedural requirements for type approval of internal combustion engine vehicles of M and N categories powered by liquid or compressed gaseous hydrogen shall be in accordance with AIS 195:2023 as amended from time to time.

Provided that the hydrogen fuel specifications for internal combustion engine vehicles shall be in accordance with IS 16061: 2021.

2. The safety and procedural requirements for type approval of internal combustion engine vehicles of Construction Equipment Vehicles powered by liquid or compressed gaseous hydrogen shall be in accordance with AIS 195A:2024, as amended from time to time.

Provided that the hydrogen fuel specifications for internal combustion engine vehicles shall be in accordance with IS 16061: 2021.

125-M(B). Type approval of vehicles running on compressed gaseous hydrogen fuel cell.-

1. The safety and procedural requirements for type approval of motor vehicles of Category M and Category N, running on compressed gaseous hydrogen fuel cell shall be in accordance with AIS 157:2020, as amended from time to time.

Provided that the hydrogen fuel specification for fuel cell vehicles shall be in accordance with ISO 14687.

2. The safety and procedural requirements for type approval of the Construction Equipment Vehicles running on compressed gaseous hydrogen fuel cell shall be in accordance with AIS 157 A:2024, as amended from time to time.

Provided that the hydrogen fuel specification for fuel cell vehicles shall be in accordance with ISO 14687.

3. The safety and procedural requirements for type approval of internal combustion engine and compressed gaseous hydrogen fuel cell vehicles of Category L powered by liquid or compressed gaseous hydrogen shall be in accordance with AIS 206:2024, as amended from time to time.

Provided that the hydrogen fuel specifications for fuel cell and internal combustion engine vehicles shall be in accordance with IS 14687 or IS 16061: 2021 as applicable."

[F. No. RT-11028/02/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. …..(E) dated the ……………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.03.27 12:28:46 +05'30'